FAQ

बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न

विश्व व्यापार संगठन में कृषि वार्ता

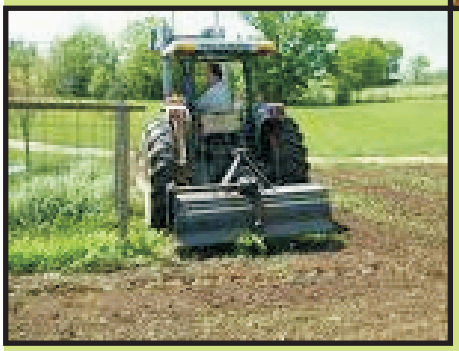

डब्लूटीओ केंद्र
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

प्रस्तावना

कृषि क्षेत्र को 1947 में व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौते द्वारा स्थापित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से प्रभावकारी तौर से बाहर रखा गया था। इस असंगति को उरूग्वे दौर की वार्ता में संशोधित किया गया जिसके फलस्वरूप 1995 में विश्व व्यपार संगठन की स्थापना हुई जब बहुपक्षीय विषयों को कृषि में सम्मिलित किया गया। यह समझौता निष्पक्ष स्पर्धा और कृषि में विरूपण मुक्त व्यापार प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है । विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर करार का प्रयास बाजार–पहुंच में आसानी और कृषि पदार्थों पर लगी व्यापार विरूपरण करने वाली सहायिकी को कम करना है । दोहा दौर की जारी संधि वार्ता में कृषि व्यापार को और अधिक मुक्त करने और व्यापार विरूपण को और अनुशासित करने का प्रयास है। कृषि वार्ताओं का भारत के लिए अत्यन्त महत्व है क्योंकि उसकी दो–तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है जिसमें अधिकतर छोटे और हाशिये के किसान शामिल हैं। इन वार्ताओं में भारत कृषि क्षेत्र में घरेलू संवेदनशीलताओं को पर्याप्त संरक्षण देने वाली प्रणाली आरम्भ करने के लिए तर्क कर रहा है। इसके साथ ही भारत विकसित देशों में उनकी व्यापार विरूपण सहायिकियों को सीमित करके अपने उत्पादों की अधिक व्यापार पहुंच के लिए प्रयासरत है।

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र ने वाणिज्य विभाग के सहयोग से *'विश्व व्यापार संगठन में कृषि वार्ता पर बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न'* पुस्तिका का प्रकाशन किया है जिसमें साधारण भाषा में वार्ता से संबद्ध मुद्दों और उनकी वतमार्न स्थिति को समझने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकाशन में समाहित जानकारी साधारण पाठकों एवं उन पाठकों के लिए जो कृषि वार्ता से संबद्ध मुद्दों पर गहन समझ के इच्छुक हों, दोनों के लिए उपयोगी होगी।

नई दिल्ली
30.9.2009

के.टी. चाको
निदेशक, भा0वि0व्या0स0

आभारोक्ति

श्रीमति अनु पी. मथाई, उप सचिव, व्यापार नीति प्रभाग, वाणिज्य विभाग, ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार किया है ।

श्री शशांक प्रिय, प्रोफेसर, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न की तैयारी और प्रकाशन को समन्वित किया है।

डा. विश्वजीत धर, प्रोफेसर और अघ्यक्ष, विश्व व्यापार संगठन पर अध्ययन केंद्र व **श्री मधुकर सिन्हा**, प्रोफेसर, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र ने इसके विषय–वस्तु व डिज़ाइन में सूधार हेतु बहुमुल्य सुझाव दिए।

प्र.1: कृषि समझौता क्या है?

उ.1: कृषि समझौता (Agreement on Agriculture) 1 जनवरी, 1995 से प्रभाव में आया जो न केवल सभी बुनियादी कृषि उत्पादों के बल्कि उनसे व्युत्पन्न उत्पादों को भी बहुपक्षीय नियमों और प्रतिबद्धताओं के तहत लाया गया। इसमें मदिरा, शराब, तंबाकू उत्पाद, रेशे – जैसे कपास, ऊन और रेशम, और चमड़े के उत्पादन के लिए पशुओं की कच्ची खाल शामिल हैं। मछली तथा मछली उत्पाद और वन उत्पाद इसमें शामिल नहीं हैं।

कृषि समझौता बाज़ार–पहुंच (शुल्क और सीमा शुल्क पर कोटा), घरेलू समर्थन (उत्पाद संबंधित छूट), और निर्यात प्रतिस्पर्धा (निर्यात सहायिकी, निर्यात ऋण और अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता) के क्षेत्र में नियम निर्धारण करता है। ये तीन तत्व आम तौर पर कृषि व्यापार सुधार ''स्तम्भों'' के रूप में जाने जाते हैं। सदस्य देशों की इन तीन में से प्रत्येक में प्रतिबद्धता उनकी व्यक्तिगत अनुसूची में शामिल है। प्रतिबद्धताओं को 1995 में प्रारम्भ कर विकसित देशों द्वारा 6 वर्ष की अवधि में और विकासशील देशों द्वारा 10 वर्ष की अवधि में लागू किया गया।

प्र.2: कृषि उत्पादों में बहुपक्षीय व्यापार के लिए नियम उरूग्वे दौर के अन्त में पहले ही मौजूद थे। दोहा दौर के अन्तर्गत कृषि वार्ता का उद्देश्य क्या है?

उ.2: दोहा दौर में वार्ता का उद्देश्य एक बुनियादी सुधार कार्यक्रम के माध्यम से निष्पक्ष बाजार–उन्मुख व्यापार प्रणाली की स्थापना है। इन उद्देश्यों को पक्के नियमों और कृषि उत्पादों की बाजार पहुंच के पर्याप्त सुधारों, विशेष प्रतिबद्धताओं, सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी में कमियों और व्यापार–विरूपण करने वाले घरेलू समर्थन में ठोस कटौती के माध्यम से प्राप्त करना है।

इस प्रकार जहां कृषि समझौता कृषि व्यापार के संबंध में विषयों को प्रस्तुत करने के लिए पहला बहुपक्षीय समझौता है, वहीं दोहा वार्ता का उद्देश्य एक तरफ कृषि बाजार को मिलने वाली सहायिकी कम करना है और दूसरी तरफ बाजार पहुंच की बाधाओं को कम करना है।

प्र.3: क्या विश्व व्यापार संगठन कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क का निर्धारण करता है?

उ.3: सीमा शुल्क देश के राज्य क्षेत्र में किसी भी वस्तु के आयात पर लिया गया शुल्क है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों से उम्मीद की जाती है कि अपने सीमा शुल्क को बांध कर रखें। दूसरे शब्दों में, उनसे शुल्क की उच्चतम सीमा को सूचित करने की आशा की जाती है। वो शुल्क, जो वास्तव में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किसी देश से आयात पर लगाये जाते हैं – लागू सीमा शुल्क कहलाते हैं। प्रत्येक सदस्य लागू सीमा शुल्क निर्धारण के लिए स्वतंत्र है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि सदस्य देश का व्यावहारिक प्रयुक्त कृषि उत्पाद पर शुल्क बाध्य सीमा शुल्क से अधिक नहीं हो सकता।

उदाहरण के तौर पर उरूग्वे दौर के अंत में गेहूँ पर अधिसूचित सीमा शुल्क 70% है। इसलिए भारत द्वारा गेहूँ पर सीमा शुल्क 70% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

प्र.4: क्या हम कृषि उत्पादों के आयात पर गैर शुल्क उपायों (Non Tariff Measures) का उपयोग कर सकते हैं?

उ.4: कृषि समझौते द्वारा परिमाणित बाजार–पहुंच के मुद्दे, शुल्क और शुल्क पर कोटा तक सीमित हैं। उरूग्वे दौर से पूर्व कुछ कृषि आयात अनेक प्रकार के कोटा और अन्य गैर शुल्क उपायों द्वारा संचालित थे।

इन उपायों को उनके समराशि शुल्क में परिवर्तित कर दिया गया है अर्थात् वे लगभग गैर शुल्क उपायों के समान संरक्षण प्रदान करते हैं। कोटा और अन्य प्रकार के गैर शुल्क उपायों को शुल्क में परिवर्तित करना 'शुल्कीकरण' कहलाता है। कृषि समझौता जो विशेष रूप से कृषि उत्पादों के लिये है, इन गैर शुल्क उपायों को प्रतिबंधित करता है। प्रभावी रूप से इसका मतलब है कि शुल्क सामान्यतः केवल स्वीकार्य सीमा सुरक्षा उपाय है। हालांकि सदस्य, संतुलन भुगतान उपबंधों एवं व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता (GATT) 1994 के गैर कृषि–विशेष प्रावधानों और वस्तुओं (औद्योगिक या कृषि) के सामान्य व्यापार पर लागू अन्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत गैर शुल्क उपाय का सहारा ले सकते हैं ।

प्र.5: क्या उरूग्वे दौर की कृषि वार्ता के फलस्वरूप भारत से उसके कृषि उत्पादों पर शुल्क कटौती अपेक्षित थी?

उ.5: उरूग्वे दौर के प्रतिभागियों ने सहमति जताई कि विकसित देश 6 वर्षों में समान चरणों में अपने प्रतिबद्ध बाध्य शुल्क में औसतन 36% की कटौती करेंगे। विकासशील देशों को अपना बाध्य शुल्क 24% कटौती द्वारा 10 वर्षों में कम करना था।

भारत जैसे अनेक विकासशील देशों ने शुल्कीकरण के बजाय उच्चतम सीमा शुल्क दरों की पेशकश के विकल्प का इस्तेमाल किया। भारत ने यह विकल्प इसलिए चुना क्योंकि वह भुगतान संतुलन पर मात्रात्मक प्रतिबंध बनाए हुए था जो मार्च 2001 को समाप्त कर दिए गए थे।

उरूग्वे दौर के अंत में भारत ने अपने शुल्कों को अधिकतर वस्तुओं पर बांध लिया था – प्राथमिक उत्पादों पर 100%, प्रसंस्कृत उत्पादों पर 150%, और खाद्य तेलों के लिए 300%। कुछ उत्पादों पर बाध्य शुल्क कम थे (जिनमें 119 शुल्क लाइनें शामिल हैं) क्योंकि वे बहुपक्षीय व्यापार की पिछले दौर की वार्ताओं में ही निचले स्तर पर बाध्य थे।

इसके बाद व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद XXVIII के अंतर्गत वार्ता आयोजित की गईं और दिसम्बर, 1999 में 15 शुल्क लाइनों पर बाध्य स्तरों को संशोधित कर बढ़ाया गया, जिसमें स्किम्ड दूध पाउडर, स्पेल्ट गेहूँ, धान, चावल, मकई, बाजरा, सफेद सरसों, वन्य कपिशाक , सरसों का तेल, ताजा अंगूर इत्यादि शामिल थे।

प्र.6: उन किसानों को जिनका विश्व व्यापार संगठन (WTO) से कोई वास्ता नहीं उन्हें कैसे सब्सिडी प्रदान की जाती है?

उ.6: घरेलू समर्थन नीतियों को – जो घरेलू मूल्यों का समर्थन करती हैं और उत्पादन को अन्य तरीके से सहायता करती हैं, अनुशासित और कम करना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि वे अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं। इससे आयात कम हो जाते हैं या निर्यात–छूट को जन्म देते हैं और विश्व बाजार को कम कीमतों पर उत्पादों से पाट देते हैं।

प्र.7: क्या कृषि व्यापार करार के अंतर्गत सब्सिडी किसानों को पूरी तरह से निषिद्ध है?

उ.7: नहीं ! कृषि समझौता उन सहायता कार्यक्रमों में जो उत्पादन को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं और वो जो सीधा असर नहीं करते, दोनों के बीच

अन्तर करता है। उन सहायिकीओं को जो उन कार्यक्रमों के स्वभाव में है और जिनका सीधा प्रभाव उत्पादन और व्यापार पर पड़ता है–'एम्बर बॉक्स' के नाम से जानी जाती हैं।

कृषि समझौते द्वारा प्रयुक्त शब्दावली में इन सहायिकीयों को 'सकल सहायता माप' कहा जाता है।

विकसित देशों से अपेक्षित था कि वो अपने 1986–88 (आधार अवधि) के दौरान विद्यमान सकल सहायता माप को 1995 से शुरू 6 वर्षों में 20% कम करें। विकासशील देशों को अपना सकल सहायता माप 10 वर्षों की अवधि में 13.3% कम करना था। कम विकसित देशों को किसी कटौती की आवश्यकता नहीं थी।

कृषि व्यापार करार के *डी मिनिमिस* (*de minimis*) प्रावधानों के तहत विकासशील देशों को व्यापार–विरूपण करने वाले समर्थन को कम करने की आवश्यकता नहीं थी यदि उनका सकल मूल्य एक वर्ष में कृषि उत्पादों के कुल मूल्य का 10% से अधिक नहीं हुआ हो। विकसित देशों के लिए डी मिनिमिस की यही सीमा 5% रखी गई।

व्यापार पर कम से कम प्रभाव वाले उपायों (ग्रीन बॉक्स उपाय) का स्वछंदता से प्रयोग किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं – सरकारी सेवाएं जैसे अनुसंधान, रोग नियंत्रण, और बुनियादी ढॉचा एवं खाद्य सुरक्षा। इनमें किसानों को किए गए ऐसे भुगतान भी शामिल हैं जो उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं करते, जैसे कि प्रत्यक्ष समर्थन के कुछ प्रकार, किसानों को कृषि पुनर्गठन सहायता और पर्यावरण और क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यक्ष भुगतान।

किसानों को किए गये कुछ प्रत्यक्ष भुगतानों की अनुमति है जहां किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता है (ब्लू बॉक्स उपाय)। कुछ अन्य सरकारी समर्थन कार्यक्रमों की भी अनुमति है जो विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

विकासशील सदस्य देशों के लिए विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान भी उपलब्ध हैं तो खाद सुरक्षा भंडारों से प्रशासित मूल्यों पर खरीद और बिक्री पर कटौती प्रतिबद्धताएं लागू नहीं होती हैं। (अगर कुल सकल सहायता माप की गणना में उत्पादकों के लिए सहायिकी सम्मिलित है)। विकासशील देशों को शहरी और ग्रामीण गरीबों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरक्षित खाद्य वितरण की अनुमति है। इसके अलावा

विकासशील देशों को दो अन्य प्रकार की छूटें उपलब्ध हैं – कृषि के लिए दी गई निवेश सहायिकी तथा निम्न आय तथा कम संसाधन वाले कृषकों को दी जाने वाली कृषि हेतु सहायिकी।

प्र.8: क्या भारत को उरूग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप अपने किसानों को उपलब्ध कराई गई सहायिकी को घटाना पड़ा?

उ.8: भारत को अपने किसानों को प्रदान की गई किसी भी सब्सिडी को कम नहीं करना पड़ा। यह इसलिए कि भारत का कुल सकल सहायता माप कृषि समझौते द्वारा निर्धारित सीमा से काफी कम था।

इसके अलावा विकासशील देशों को तीन अतिरिक्त छूट प्राप्त हैं: (1) आम तौर से कृषि को उपलब्ध निवेश सहायिकी, (2) निम्न आय या कम संसाधन वाले उत्पादकों को उपलब्ध कृषि सहायिकी, और (3) अवैध नशीली/मादक फसलों से हटकर अन्य फसलों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए घरेलू समर्थन।

प्र.9: क्या कृषि उत्पादों के निर्यात पर सहायिकी की अनुमति है?

उ.9: कृषि समझौते में निर्यात सहायिकी पर रोक है जब तक कि सब्सिडी सदस्य की प्रतिबद्धता अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं हैं। जहां वे सूचीबद्ध हैं, समझौते के अनुसार विश्व व्यापार संगठन सदस्यों को कृषि निर्यात पर खर्च, और निर्यात की मात्रा जिस पर सहायिकी उपलब्ध है, दोनों को कम करना अनिवार्य है। 1986–90 के औसत को आधार स्तर मानते हुए विकसित देश निर्यात छूट के मूल्य को 1995 में प्रारम्भ कर 6 वर्षों में 36% कम करने को सहमत हुए और विकासशील देश 10 वर्षों में 24% कम करने को सहमत हुए। विकसित देश भी सहायिकी प्राप्त निर्यात को 6 वर्षों में 21% कम करने को भी सहमत हुए (विकासशील देशों के लिए 10 वर्षों में 14%)। (अत्यन्त कम) विकसित देशों को किसी भी कटौती की जरूरत नहीं थी। छह वर्षों की कार्यान्वयन अवधि में विकासशील देशों को कुछ विशेष शर्तों के अंतर्गत विपणन और निर्यात परिवहन की लागत कम करने के लिए सहायिकी के उपयोग की अनुमति थी।

प्र.10: इसकी क्या रूपरेखा है?

उ.10: वार्ता के प्रत्येक पहलू पर विश्व व्यापार संगठन में वार्ता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों के अध्यक्ष समय–समय पर रूपरेखा मसौदे निकालते रहते हैं जिसमें वार्ता के उद्देश्यों को साकार करने वाले प्रस्ताव

होते हैं। कृषि वार्ताओं में रीति प्रारूप में शुल्क और कृषि सहायिकी कम करने वाले सूत्र शामिल होते हैं। कृषि पर वार्ता समूह के अध्यक्ष 17 जुलाई, 2007 को रूपरेखा मसौदा लाये जो बहुपक्षीय चर्चा पर आधारित था। 8 फरवरी, 1990 और 10 जुलाई, 2008 को अन्य संशोधित मसौदे भी लाये गये। 10 जुलाई, 2008 का संशोधित मसौदा जुलाई, 2008 की विश्व व्यापार संगठन की जेनेवा में आयोजित लघु मंत्रिस्तरीय विचार–विमर्श का आधार बना।

प्र.11: कृषि वार्ता में मुख्य गठबंधन समूह कौन से हैं? क्या भारत किसी गठबंधन का सदस्य है?

उ.11: कृषि वार्ता के मुख्य गठबंधन समूह हैं – जी–26, जी–10, जी–33, केर्न्स समूह, अफ्रीकी समूह, अफ्रीकी–प्रशांत–कैरीबियन (ACP) समूह और कॉटन–4 (बेनें, चाड, बुरकीना फासो और माली)। अन्य समूहों में छोटे और कमजोर अर्थव्यवस्था वाले समूह, कम विकसित देश (LDCs) और उष्ण कटिबंधीय उत्पाद समूह शामिल हैं। भारत जी–20 और जी–33 गठबंधन समूह का सदस्य है। जी–20, ब्राजील के नेतृत्व में विकासशील देशों का, विकासशील देशों के लिए विकसित देशों में कुछ सरलीकृत महत्वाकांक्षी कृषि सुधारों के लिए दबाव बनाने वाला गठबंधन है। इन्डोनेशिया के नेतृत्व में जी–33 समूह दोहा दौर के जनादेश में समाहित विशेष उत्पाद और विशेष सुरक्षा तंत्र पर संतोषजनक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए विकासशील देशों की अगुवाई कर रहा है। ये दो उपाय विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधानों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

प्र.12: दोहा दौर में कृषि शुल्क कैसे कम किया जाएगा?

उ.12: व्यापार पहुंच के तरीकों में दो मुख्य तत्व हैं जो कि विचाराधीन हैं: (i) समूहानुसार शुल्क में कटौती, और (ii) सदस्यों (विकसित और विकासशील) द्वारा अपनी विशेष जरूरतों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया निर्धारित शुल्क कटौती पर लचीलापन या बदलाव।

एक सूत्र के आधार पर शुल्क कटौती का प्रस्ताव है जिसके अनुसार उच्च शुल्क पर अधिक कटौती होगी। विकसित देशों को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार पांच वर्षों की अवधि में उनकी अंतिम बाध्य दरों को समान वार्षिक किश्तों में कम करना होगा।

समूह (बैंड)	कटौती
0–20	50%
20–50	57%
55–75	64%
75 +	70%

उदाहरण के लिए, 10% की दर उपरोक्त पहले समूह में पड़ेगी और 5 वर्षों के अन्तराल में इसमें में 50% कटौती करके इसे 50% करना होगा।

इसके अलावा विकसित देशें को अंतिम बाध्य दरों में 54% की एक न्यूनतम औसत कटौती करनी होगी। अगर समग्र औसत कटौती 54% से कम हो तो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सभी समूहों में समानुपातिक तौर पर अतिरिक्त प्रयास करना होगा।

विकासशील देशों को अपनी अंतिम बाध्य दरें निम्नलिखित स्तरीय सूत्र (टियर फार्मूले) के अनुसार 10 वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में कम करनी होंगी।

समूह	कटौती
0–30	33.33%
30–80	38%
88–130	42.67%
130+	46.67%

विकसित और विकासशील देशों के लिए इनके शुल्क वितरण में अंतर को दर्शाते हुए अलग–अलग समूह हैं। विकासशील देशों द्वारा प्रत्येक समूह में की जाने वाली कटौती विकसित देशों द्वारा उनके समूह में की गई कटौती की दो–तिहाई है। किसी भी विकासशील सदस्य देश द्वारा सूत्र के क्रियान्वयन के लिए अंतिम बाध्य दरों में अपेक्षित अधिकतम कुल औसत कटौती 36% है, जिसमें संवेदनशील उत्पादों पर कम शुल्क पर कटौती

शामिल है। यह विकसित देशों द्वारा की गई 54% न्यूनतम समग्र दर कटौती का दो–तिहाई है। अगर इस पद्धति के परिणामस्वरूप 36% कुल औसत कटौती होती है तो सदस्य विकासशील देश सभी सूत्रों में इसे 36% प्रतिशत के अंदर रखने के लिए आनुपातिक तौर से कम कटौती लागू करने के लिए मुक्त होंगे।

10% पर बाध्य दर को, दर कटौती सूत्र के प्रयोग से 10 वर्षों की अवधि में 57.33 किया जायेगा। इसी तरह 150% और 300% की बाध्य दरें 10 वर्षों के अंत में क्रमशः 80% और 160% हो जायेंगी।

प्र.13: क्या दोहा दौर की वार्ता के फलस्वरूप सभी कृषि उत्पादों पर दरों में कटौती होगी?

उ.13: दोहा दौर की वार्ता के आदेश में सदस्य देशों (सभी विकसित और विकासशील) को उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रयोग में लाने के लिए प्रस्तावित शुल्क कटौती में लचीलेपन या विचलन का प्रावधान है।

प्र.14: क्या दोहा दौर के बाद भी भारत कृषि उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के लिए पर्याप्त नीति की गुंजाइश रखेगा?

उ.14: विकासशील देशों द्वारा की जाने वाली शुल्क कटौती को चार लचकों द्वारा संचालित किया जायेगा जो दोहा दौर के आदेशों में समाहित हैं।

विकासशील देशों को 36% की अधिकतम समग्र औसत कटौती से अधिक कटौती नहीं करनी है। अगर उपरोक्त समूहवार कटौती समग्र औसत को 36% से अधिक कर देती है तो इसे 36% के भीतर रखने के लिए सभी समूहों में अनुपात के अनुसार कम कटौती वे कर सकते हैं। भारत के शुल्कों की उपयुक्त शुल्क समूह और लागू कटौती की सरल (स्लौटिंग) खांचाकरण का परिणाम लगभग 41% की समग्र औसत कटौती है। इसलिए हम प्रत्येक समूह में कटौती को उसी अनुपात से वापस कर सकते हैं ताकि समग्र औसत कटौती 36% से अधिक न हो।

दूसरा, विकसित देशों को उनके कृषि उत्पाद शुल्क लाइनों के निश्चित प्रतिशत को ''विशेष उत्पाद'' के रूप में स्वनामित करने की अनुमति होगी जिस पर उनकी कम या कोई कटौती नहीं होगी।

तीसरा, सदस्यों (दोनों विकसित और विकासशील) को शुल्क लाइनों की उपयुक्त संख्या को संवेदनशील माने जाने के लिए निर्दिष्ट करने की अनुमति दी जायेगी जिस पर उनको कम कटौती उठानी होगी। जहां

विकसित देशों को आयात के लिए अधिक पहुंच की अनुमति के लिए शुल्क कोटा द्वारा छोटी कटौती शुरू करने की आवश्यकता होगी वहीं विकासशील देशों को बिना प्रस्तावित दर कोटा के ''संवेदनशील उत्पादों'' को नामित करने की अनुमति देने के लिए अनेक विकल्पों पर बातचीत चल रही है।

अन्त में, ''विशेष सुरक्षा तंत्र'' विशेष रूप से विकासशील देशों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए एक और लचीला उपाय है जो विकासशील देशों के किसानों को आयात वृद्धि और कीमतों में गिरावट के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए अस्थाई सुरक्षा उपाय के तौर पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने की अनुमति देगा।

प्र.15: भारत अपने गरीब और कमजोर किसानों के हितों की रक्षा किस प्रकार करेगा?

उ.15: दिसम्बर 2005 के हांग कांग मंत्रिस्तरीय घोषणा में यह प्रावधान है कि विकासशील सदस्य देश उपयुक्त संख्या में शुल्क लाइनों को ''विशेष उत्पाद'' स्व–नामित कर सकें जो खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास के मापदण्डों पर आधारित संकेतकों द्वारा मार्गदर्शित हों। यह एक विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधान है जो विकासशील देशों को उन्हें इन उत्पादों में शुल्क कटौती के लिए लचीलेपन की अनुमति देता है।

6 दिसम्बर, 2008 की संशोधित मसौदा रीति में 11% की औसत कटौती करते हुए कृषि शुल्क लाइनों के 12% विशेष उत्पाद का अधिकार दिया गया है जिसमें शून्य कटौती पर 5% कुल शुल्क लाइनें शामिल हैं।

विशेष उत्पाद पर जो मसौदा रीति अभी विचाराधीन है वह 2007 के प्रारंभ से चल रही बाचतीच की लम्बी और गहन प्रक्रिया का परिणाम है। विशेषकर जी–33 देशों द्वारा दोहा दौर के विकास जनादेश के पालन के लिए किये गये लगातार प्रयास इस प्रकार से फलित हुए हैं। उदाहरण के लिए 2006 में अमरीका ने कहा था कि विस्तृत शुल्क स्तर पर 5 से अधिक शुल्क लाइनें विशेष उत्पाद के रूप में नामित न हों।

प्र.16: क्या वार्ता में विशेष उत्पाद नामित उत्पादों की सूची तय होगी?

उ.16: नहीं विशेष उत्पाद स्व–नामित होंगे। एक बार रीति को अंतिम रूप देने के बाद विकासशील देश सदस्य तय करेगा कि वह अपने किस उत्पाद को 'विशेष उत्पाद' में नामित करना चाहता है। एक बार जब यह तय हो

जायेगा, यह सूची सदस्य देश की दोहा दौर की प्रतिबद्धता अनुसूची के हिस्से के तौर पर विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित की जायेगी।

भारत के संदर्भ में विशेष उत्पादों की सूची, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और अन्य सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श लेकर तय की जायेगी।

प्र.17: क्या विकसित देशों को उनके कुछ कृषि उत्पादों को पूर्ण शुल्क कटौती से बचाने की अनुमति दी जायेगी?

उ.17: सदस्य (विकसित और विकासशील दोनों) शुल्क लाइनों की एक निश्चित संख्या को संवेदनशील रूप में नामित कर सकते हैं जिन पर वे कम शुल्क कटौती लेंगे। हालाँकि इन उत्पादों के लिए भी बाजार पहुंच में ठोस सुधार होना होगा, इसलिए शुल्क दर कोटा द्वारा कटौती शुरू करनी होगी जिससे बाजार पहुंच की संभावनाओं में सुधार होगा। 6 दिसम्बर, 2008 की रीति प्रारूप के अनुसार विकसित देश शुल्क लाइनों के 4% को संवेनशील उत्पाद नामित कर सकते हैं। उन सदस्यों के लिए जिनकी 30% से अधिक शुल्क लाइनें उच्च शुल्क समूह (75+ समूह) में हैं उनके लिए 6% की उच्च हकदारी प्रस्तावित है।

विकासशील देश एक–तिहाई अधिक (5.3% अथवा 8% उत्पादों को संवेदनशील उत्पाद के तौर पर नामित कर सकते हैं।

भारत की लगभग 35% कृषि शुल्क लाइनें 130+ के उच्चतम समूह में हैं इसलिए उसकी संवेदनशील उत्पाद हकदारी 8% होगी। दूसरे शब्दों में हमें नीची कटौती लेने की छूट होगी जो अन्यथा शुल्क कटौती सूत्र के तहत 8% लाइनों पर आवश्यक होती और यह विकासशील देशों के लिए उपलब्ध विकल्पों को लेते हुए होती जिसमें शुल्क कोटा के माध्यम से प्रवेश की व्यवस्था नहीं है।

प्र.18: क्या विकासशील देशों को उनके संवेदनशील उत्पादों पर नीची कटौती की क्षतिपूर्ति के लिए शुल्क दर कोटा पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है?

उ.18: विकासशील देशों के लिए कोटा–विस्तार विकसित देशों की राशि का दो–तिहाई है और, घरेलू खपत में किसानों द्वारा स्वयं के उत्पादों की खपत शामिल नहीं है।

शुल्क दर कोटा देने के बजाय विकासशील देश सामान्य से तीन वर्ष अधिक कार्यान्वयन अवधि पर अपने सभी संवेदनशील उत्पादों पर पूर्ण सूत्र कटौती ले सकते हैं

अथवा

वे अपनी संवेदनशील उत्पाद हकदारी के हिस्से पर निम्नांकित छोटी कार्यान्वयन अवधि पर नीची कटौती ले सकते हैं।

सूत्र कटौती में विचलन	संवेदनशील उत्पाद हकदारी का प्रतिशत	कार्यान्वयन अवधि
⅓ एक–तिहाई	50%	3 वर्ष
½ आधा	⅓ एक–तिहाई	2 वर्ष
⅔ दो–तिहाई	¼ एक–चौथाई	1 वर्ष

सूत्र कटौती से जितना अधिक विचलन होगा उतने ही नीचे अनुपात में संवेदनशील उत्पाद होंगे जिन पर कम कटौती लागू होगी और उतनी ही छोटी कार्यान्वयन अवधि होगी।

प्र.19: क्या भारत ने कृषि समझौते में उपलब्ध विशेष सुरक्षा प्रावधानों का उपयोग किया? क्या दोहा दौर में विकासशील देशों को किन्हीं प्रकार के आपातकालीन सुरक्षा उपायों का सहारा मिलेगा?

उ.19: कृषि समझौते ने उन उत्पादों में सदस्यों को विशेष आपातकालीन कार्यवाही ('विशेष सुरक्षा कदम' – अधिक शुल्क अधिरोपण द्वारा) करने की अनुमति दी थी जिनके प्रशुल्क प्रतिबंध शुल्क में बदले गये थे ताकि वो तेजी से गिरती कीमतों और आयात में उछालों से अपने किसानों को हानि पहुंचने से बचा सकें। प्रत्येक मामले में उत्पादों की एक सीमित संख्या के लिए ऐसा करने का अधिकार 38 सदस्यों द्वारा आरक्षित था भारत को ऐसा करने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसने मात्रात्मक प्रतिबंध के शुल्कीकरण (भुगतान संतुलन समस्याओं पर) के बजाय अपने शुल्कों को बाध्य करने के विकल्प का उपयोग किया।

अगर आयातों में उछाल आता है जिससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर नुकसान पहुंचे या नुकसान का खतरा हो तो भारत विश्व व्यापार संगठन के सुरक्षा उपायों के करार के अंतर्गत सुरक्षा कार्यवाही कर सकता है। परन्तु इस मामले में सुरक्षा शुल्क लगाने से पहले नुकसान और उसके कारणों को प्रमाणित करना होगा।

दोहा दौर में भारत को विशेष सुरक्षातंत्र का सहारा होगा। यह दोहा दौर के अधिदेश का एक हिस्सा है। 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र में कहा गया है कि विकासशील देशों को विशेष सुरक्षातंत्र का सहारा लेने का अधिकार होगा जो कि आयात मात्रा और कीमत उत्प्रेरक तत्वों पर आधारित होगा जिनको आगे परिभाषित करने की सटीक व्यवस्था है।

प्र.20: क्या सदस्य दोहा दौर के बाद विशेष सुरक्षा (SSG) का सहारा लेते रहेंगे?

उ.20: दोहा दौर में बहस का मुद्दा यह रहा है कि क्या विशेष सुरक्षातंत्र को समाप्त कर दिया जाय या फिर उन उत्पादों की संख्या कम की जाए जिनके लिए यह लागू किया जा सकता है तथा इसे बांधा जाए। जी–20 ने हमेशा माना है कि यह एक परिवर्ती साधन है और इसे शीघ्रतिशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। यूरोपीय कमीशन, स्विट्ज़रलैंड, जापान और नार्वे विशेष सुरक्षातंत्र को बनाये रखना चाहते हैं।

6 दिसम्बर 2006 के अध्यक्षीय व्याख्यान में प्रस्तावित है कि कार्यान्वयन के पहले ही दिन, विकसित देश सदस्य विशेष सुरक्षा के लिए पात्र लाइनों की संख्या को घटाकर शुल्क लाइनों के 1% तक कम करें और कार्यान्वयन के सातवें वर्ष के अंत तक विशेष सुरक्षा को समाप्त कर दें।

विकसित देश सदस्यों के लिए विशेष सुरक्षा को कार्यान्वयन के पहले दिन शुल्क लाइनों के 2.5% से अधिक कम नहीं किया जायेगा। लघु एवं सुभेद्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष सुरक्षा संरक्षण को 12 वर्षों की अवधि में प्रशुल्क लाइनों के 5% से कम नहीं किया जायेगा।

प्र.21: विशेष सुरक्षातंत्र (SSM) किस प्रकार काम करेगा?क्या यह उसी तरह काम करेगा जैसे कृषि समझौते के विशेष सुरक्षा प्रावधान काम करते हैं?

उ.21: विशेष सुरक्षातंत्र के अन्तर्गत सुरक्षा कार्य या तो एक आयात–मात्रा उत्प्रेरक से या फिर कीमत उत्प्रेरक से चालित होंगें। आयात मात्रा

उत्प्रेरक आयात का एक प्रारंभिक स्तर है। इसे पार करने पर किसी समाधान का सहारा मिलता है, जैसे सामान्य सीमा शुल्क के ऊपर सुरक्षा शुल्क की एक अस्थाई उगाही।

इसी तरह मूल्य उत्प्रेरक आयात की कीमतों का एक प्रारंभिक स्तर है। अगर आयात मूल्य इस प्रारंभिक स्तर से नीचे गिरते हैं तो विशेष सुरक्षातंत्र को लागू किया जा सकता है और सामान्य सीमा शुल्क के अलावा अस्थाई रूप से सुरक्षा शुल्क लगाया जा सकता है।

विशेष सुरक्षातंत्र को लागू करने के लिए उत्प्रेरक निर्धारित करता है कि सुरक्षा शुल्क कब लगाया जा सकता है। अगर आयात मात्रा उत्प्रेरक को बहुत ऊपर तय किया जाता है तो विशेष सुरक्षातंत्र सभी प्रभावकारिता खो देता है क्योंकि तब वह केवल अति असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि मूल्य उत्प्रेरक बहुत नीचे तय किया जाता है तब भी यही बात लागू होती है।

10 जुलाई, 2008 के संशोधित मसौदे में मात्रा–उत्प्रेरक की सीमा 110% से 135% के ऊपर थी।

मात्रा उत्प्रेरक	उपाय (प्रयुक्त प्रशुल्क पर अधिकतम अतिरिक्त शुल्क)
110–115	दोहा दौर में बाध्य का 25% या 25% जो भी अधिक हो
115–135	दोहा दौर में बाध्य का 40% या 40% जो भी अधिक हो
135 से अधिक	दोहा दौर में बाध्य का 50% या 50% जो भी अधिक हो

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी भी एक वर्ष में कोई आयात वृद्धि है, पहले पिछले तीन वर्ष के आयात की औसत की गणना की जायेगी। अगर वर्ष विशेष के विषय में आयात मात्रा 110% से अधिक परन्तु तीन वर्षों के औसत के 115% से कम है तो एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है जो कि दोहा दौर में उस वर्ष के बाध्य दर का 25% होगा या एकसमान अतिरिक्त 25%, इनमें से जो भी अधिक हो। इसी प्रकार उपरोक्त तालिका में दिये गये अन्य दो समूहों में पड़ने वाले आयात उत्प्रेरकों के लिए भी उपाय प्रस्तावित हैं।

हालाँकि कुल शुल्क, जिसमें सुरक्षा शुल्क भी शामिल हैं, उरूग्वे दौर में बाध्य दरों का उल्लंघन नहीं कर सकते। सिवाय 2–6 उत्पादों के और

उनके लिए भी वृद्धि उरूग्वे दौर में बाध्य दरों में अधिक नहीं हो सकतीः (i) वर्ष विशेष के बाध्य प्रशुल्क दरों के 15% या (ii) एकसमान अतिरिक्त 15% ।

10 जुलाई, 2008 व्याख्यान में मूल्य उत्प्रेरक सीमा 85% प्रस्तावित की गई है। सुरक्षा तंत्र तभी लागू हो सकता है जबकि आयात कीमत निर्दिष्ट सीमा स्तर से 15% नीचे गिरती है।

प्र.22: विश्व व्यापार संगठन की जुलाई, 2008 की लघु मंत्रिस्तरीय बैठक में विशेष सुरक्षा तंत्र ऐसा विवादास्पद मुद्दा क्यों बना?

उ.22: विशेष मुद्दा जिस पर लघु मंत्रिस्तरीय बैठक में अधिक चर्चा हुई वह था उरूग्वे दौर में बाध्य दरों का उल्लंघन करने वाले उत्प्रेरक और उपचार।

जुलाई 10, 2008 व्याख्यान में जो लघु मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान बहस का आधार बना, (महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन द्वारा 25 जुलाई को परिचालित प्रस्तावों के सेट सहित) उसमें परोक्ष रूप से उत्पादों की उस श्रेणी जिस पर कुल शुल्क उरूग्वे दौर में बाध्य दरों का उल्लंघन करते हैं, उन पर उत्प्रेरक और उपचारों का समान सेट प्रस्तावित किया। इसके विपरीत अमरीका ने 140% का केवल एक न्यूनतम मात्रा–उत्प्रेरक प्रस्तावित किया अर्थात, अगर उरूग्वे दौर की बाध्य दरों का उल्लंघन हुआ तो उपचारों के लागू होने में पहले सामान्य स्तर से 40% अधिक आयात का प्रस्ताव। भारत ने अमरीका के इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई क्योंकि यह विशेष सुरक्षा तंत्र को वस्तुतः अप्रभावी बना देता। जी–33 में भारत के सहयोगियों के अलावा, अमरीका द्वारा प्रस्तावित इस उच्च उत्प्रेरक का अफ्रीकी समूह, अफ्रीकी–कैरीबियन–प्रशांत समूह और लघु व कमजोर अर्थव्यवस्था समूह ने 27 जुलाई, 2008 की एक संयुक्त बैठक के दौरान विरोध किया। यह केवल ''भारत विशेष'' मुद्दा नहीं था, इसे करीब 100 देशों का अनुमोदन प्राप्त था। विचार–विमर्श के दौरान वैकल्पिक प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। हालाँकि अमरीका और विकासशील देशों की चिन्ताओं का समाधान खोजने के सभी प्रयास विफल रहे और मंत्रिस्तरीय वार्ता रोकनी पड़ी।

प्र.23: क्या जुलाई लघु–मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान विवादास्पद बने विशेष सुरक्षा तंत्र मुद्दों का हल निकाल लिया गया है?

उ.23: इन मुद्दों पर पहले अनौपचारिक बातचीत सितम्बर, 2008 में शुरू हुई ओर फिर विश्व व्यापार संगठन के कृषि वार्ता समूह में अक्टूबर में शुरू हुई। यह दिसम्बर तक जारी रही पर वार्ताकारों के हाथ समाधान नहीं लगा।

6 दिसम्बर, 2008 के प्रारूप संस्करण में अध्यक्ष ने विशेष सुरक्षातंत्र के अनुभाग को अछूता छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उरूग्वे दौर की बाध्यता पर हुई समस्या के संभावित हल के लिए 6 दिसम्बर, 2008 में प्रकाशित एक अलग पत्र (TN/AG/W/7) में अपने सुझाव दिये हैं।

बहुपक्षीय मंच पर अभी भी इन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जाना है।

प्र.24: जापान जैसे कुछ देश अपने कृषि आयात पर बहुत अधिक शुल्क लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर जापान का चावल पर शुल्क 700: से अधिक है। क्या दोहा दौर के अंत में वे ऐसे उच्च शुल्क को जारी रख सकेंगे?

उ.24: यह 1 अगस्त, 2004 में दोहा कार्य कार्यक्रम के अपनाने की अवस्था से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसमें सिर्फ यह कहा गया कि ''स्तरीय सूत्र में संवेदनशील उत्पादों पर विशेष उपचार पर मूल्यांकन किया जायेगा''।

प्रशुल्क कैपिंग आवश्यक रूप से उनकी कृषि पर लगी उच्च दरों को नीचे लायेगा। जैसा कि स्तरीय सूत्र द्वारा अपेक्षित है।

कृषि वार्ता समूह अध्यक्ष द्वारा लाये गये अनेक रीति प्रारूपों में आमतौर से यह एक कमजोर क्षेत्र रहा है। 6 दिसम्बर, 2008 का मूल पाठ प्रस्तावित करता है कि केवल वही उत्पाद जिन्हें संवेदनशील नामित किया गया है उन्हें ही सूत्र प्रशुल्क कटौती के बाद 100% से अधिक प्रशुल्क पर बनाये रखा जा सकता है।

वर्ग कोष्ठक (जिसे अभी सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने सहमति नहीं दी है) में आइसलेंड, जापान, नार्वे और स्विट्ज़रलैंड को उनकी 100% यथामूल्य (एड वेलोरम) असंवेदनशील प्रशुल्क लाइनों के उपर अतिरिक्त बाजार–पहुंच और तेज एवं ठोस प्रशुल्क कटौतियों की शर्त पर 1% तक की अतिरिक्त हकदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

प्र.25: प्रशुल्क सरलीकरण से क्या तात्पर्य है?

उ.25: प्रशुल्क विभिन्न प्रकार के होते हैं – यथामूल्य (एड वेलोरम) यानी आयात के मूल्य का प्रतिशत, या विशिष्ट तौर पर जैसे रूपये, डालर या यूरो या किसी अन्य मुद्रा के प्रति इकाई रूप में (जैसे टन, लीटर या किलोग्राम)। अन्य अधिक जटिल हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रशुल्क, यथामूल्य (एड वेलोरम) और विशिष्ट शुल्कों का मिश्रण हो सकता है (मिश्रित)। हालांकि अगर उन्हें श्रेणीबद्ध प्रशुल्क कटौती सूत्र के अनुसार कम करना हो तो इन सभी प्रकार के शुल्कों को एड यथामूल्य रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। ऐसा करे बिना उत्पादों को उच्च शुल्क समूह में रखना संभव नहीं है।

कई विकसित देश अपने कृषि आयातों पर गैर यथामूल्य (नान एड वेलोरम) शुल्क का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर विकासशील देश मुख्यतः यथामूल्य (एड वैलोरम) शुल्क पर विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत की केवल दो कृषि शुल्क लाइनों – साबुत बादाम और छिले हुए बादाम – पर शुल्क विशिष्ट रूप से व्यक्त है। जी–20 ने लम्बे समय से पूर्ण शुल्क सरलीकरण पर जोर दिया है क्योंकि गैर यथामूल्य शुल्क (NAV) अपारदर्शी संरक्षण की एक अतिरिक्त परत का काम करते हैं। इसके अलावा, चूंकि ये मुख्यतः विकसित देशों द्वारा उपयोग में लाया जाता हैं, ये विकासशील देशों के आयात के बाजार–पहुंच के लिए एक रोधक का काम करते हैं।

6 दिसम्बर, 2008 सभापीठ के रीति प्रारूप में दो विकल्प हैं:

(i) 100% परिवर्तन, या

(ii) कम से कम 90% परिवर्तित किया जाना।

जहां तक बकाया अपरिवर्तित शुल्क लाइनों की बात है, प्रत्येक सदस्य द्वारा एक समीक्षा की जानी है और सदस्य को लागू करने की अवधि की समाप्ति के एक साल से पहले यह फैसला करना है कि कैसे आगे 100% यथामूल्य विस्तार प्राप्त किया जाए।

यूरोपीय समुदाय जो इस मुद्दे पर सबसे अधिक मुखर रहे हैं, द्वारा एक विशेष खाके का प्रस्ताव रखा गया है। उन्हें मात्र 85% दरों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है और शेष अपरिवर्तित 15% में से 5% को मिश्रित या मिश्र शुल्क के रूप में बनाये रखना है।

प्र.26: समग्र व्यापार करने वाले विकृत घरेलू समर्थन का क्या मतलब है?

उ.26: समग्र व्यापार विरूपण करने वाले समर्थन में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अन्तिम बाध्य कुल सकल समर्थन माप,

(ii) विकसित देशों के लिए 1995–2000 के दौरान कृषि उत्पादन के औसत कुल मूल्य का 10% जिसमें क्रमशः उत्पाद विशेष और गैर उत्पाद विशेष AMS के उत्पाद के कुल औसत मूल्य का 5% शामिल है, डी मिनिमिस और ब्लू बॉक्स समर्थन, और

(iii) कृषि समिति को अधिसूचित ब्लू बॉक्स भुगतान के रूप में दी गई उच्चतर औसत या 1995–2000 की अवधि के कृषि उत्पादन के औसत कुल मूल्य का 5%।

दोहा दौर में सभी विकसित देशों को व्यापार विकृत करने वाले समर्थन में पर्याप्त कटौती करनी होगी और उन देशों को, जिनका उच्च स्तर का समर्थन है उनको बाध्य और उच्चतम सीमा स्तरों में और गहरी कटौती करनी होगी। इसमें समग्र चालू बाध्य स्तर पर और अलग से, एम्बर बॉक्स और डी मिनिमिस पर कटौती शामिल है। ब्लू बॉक्स समर्थन का भी सीमा निर्धारण किया जायेगा। व्यक्तिगत घटकों में कटौती के बाद अगर समग्र समर्थन उच्चतम सीमा से अधिक होता है तो व्यक्तिगत घटकों में अतिरिक्त कटौती करनी पड़ेगी।

प्र.27: दोहा दौर में समग्र व्यापार विरूपण वाला घरेलू समर्थन (OTDS) कितना कम किया जायेगा?

उ.27: 6 दिसम्बर, 2008 के मसौदा रूपरेखा पत्र में समग्र व्यापार विरूपण वाला घरेलू समर्थन (OTDS) घटाने के लिए एक सूत्र प्रस्तावित है और उसमें प्रत्येक श्रेणी में कटौती की विस्तृत सीमा का भी सुझाव है जो निम्नलिखित है। ये कटौतियां पांच वर्ष की अवधि में छः समान चरणों में की जानी हैं।

समग्र व्यापार विरूपण वाला घरेलू समर्थन	कटौती	अनुमान
60 बिलियिन अमरीकी डालर से अधिक	80%	यूरोपियन कमीशन 22 बिलियन यूरो की कटौती करेगा
अधिक से अधिक 10 बिलियन अमरीकी डालर और 60 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर या कम	70%	अमरीका 14.5 बिलियन अमरीकी डालर की कटौती करेगा
10 बिलियन अमरीकी डालर और उससे कम	55%	समग्र बकाया

विकासशील देश जो उरूग्वे दौर के तहत औसत समर्थन माप घटाने के लिए बचनबद्ध हैं उनको आठ वर्षों की अवधि में नौ समान चरणों में विकसित देशों के लिए प्रस्तावित समग्र व्यापार विरूपण वाली घरेलू समर्थन कटौती का दो तिहाई लेना है। भारत जैसे विकासशील देशों को जिनकी कोई सकल सहायता माप वचनबद्धता नहीं है वे किसी भी वचनबद्धता से मुक्त है।

70% की कटौती अमरीकी समग्र व्यापार विरूपण वाले घरेलू समर्थन को करीब 14.5% बिलियन अमरीकी डालर पर ले आती है। हालांकि यह फिर भी उनके 7 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित प्रयुक्त स्तर से कहीं ऊपर है।

प्र.28: एम्बर बॉक्स समर्थन कितना कम किया जायेगा?

उ.28: एम्बर बॉक्स समर्थन या सकल सहायता माप को भी श्रेणीगत सूत्र के अनुसार कम करना है। विकासशील देशों द्वारा की जाने वाली कमी नीचे इंगित है।

औसत सहायता माप	कटौती	अनुमान
40 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक	70%	यूरोपियन कमीशन 20.15 बिलियन यूरो की कटौती करेगा
15 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक और 40 बिलियन डालर के बराबर या कम	60%	अमरीका 7.6 बिलियन डालर की कटौती करेगा
15 बिलियन अमरीकी डालर से कम या बराबर	45%	समग्र बकाया

ये कटौतियां पांच वर्ष की अवधि में छः समान चरणों में की जानी हैं। विकासशील देशों को आठ वर्षों की अवधि में नौ समान चरणों में दो–तिहाई कटौती करनी है। हालांकि वो विकासशील सदस्य देश जिनका अंतिम बाध्य कुल सकल सहायता माप 100 बिलियन अमरीकी डालर से नीचे है उन्हें कटौती करने की जरूरत नहीं है।

प्र.29: समग्र व्यापार विकृत करने वाले समर्थन पर सीमा निर्धारण के अलावा क्या व्यक्तिगत उत्पाद पर समर्थन पर भी सीमा निर्धारण प्रस्तावित है?

उ.29: हाँ ! इस दौर में विभिन्न उत्पादों के बीच समर्थन को बदलने से बचने के लिए उत्पादों के स्तर पर सहायिकी की सीमा तय करने की मांग है।

अमरीका के अलावा अन्य देशों के लिए सीमा या अधिकतम स्तर उरूग्वे दौर की क्रियान्वयन अवधि (1995–2000) के दौरान प्रदान किये गये औसत समर्थन के बराबर होगा।

अमरीका के लिए विशिष्ट पदार्थों पर गणना उस अवधि के लिए कुल एम्बर बॉक्स समर्थन पर आधारित होगी लेकिन यह वर्ष 1995–2004 अवधि पर औसत हिस्से के अनुसार उत्पादन के बीच बांटी जायेगी। अमरीका के लिए एक और विशेष व्यवस्था है कि वह उस सीमा से शुरूआत कर सकते हैं जो अनुसूचित सीमाओं से 30% अधिक हो।

प्र.30: क्या इस दौर में *डी मिनिमिस* के अनुमत्य समर्थन को भी कम किया जायेगा? क्या इससे भारत को अपने किसानों के लिए किसी भी सहायिकी को कम करना पड़ेगा?

उ.30: विकासशील देशों के लिए विशेष प्रबंध करते हुए दोहा दौर में डी मिनिमिस समर्थन को भी कम करना है। विकसित देशों को पहले दिन से ही 50% कटौती करनी है। (कृषि मूल्य मौजूदा 5% से कैपिंग 2.5% पर करनी है)। एम्बर बॉक्स प्रतिबद्धताओं वाले विकासशील देशों से अपेक्षित है वे डी मिनिमिस को विकसित देशों द्वारा की गई कटौती को दो–तिहाई कम करें। (वर्तमान 10% उत्पादन मूल्य से 6.7% के आस–पास)।

भारत जैसे विकासशील देशों को, जिनकी सकल सहायता माप प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, *डी मिनिमिस* समर्थन में कटौती की आवश्यकता नहीं होगी।

प्र.31: क्या ब्लू बॉक्स वर्ग के समर्थन के लिए भी विषय प्रस्तावित किये गये हैं?

उ.31: ब्लू बाक्स सहायिकियॉ, जो अभी असीमित हैं, उनकी सीमा निर्धारित की जानी है। विकसित देश के 1995–2000 अवधि के कृषि उत्पाद मूल्य का 2.5%, और विकासशील देश के वर्ष 1995–2004 की अवधि के कृषि उत्पाद मूल्य का 5%। जहां विकसित देशों के लिए सामान्य सीमा 1995–2000 में व्यय का औसत है, अमरीका के लिए यह सीमा 2002 कृषि विधेयक के तहत अनुमानित उच्चतम से 10% या 20% अधिक है। कुछ देशों के लिए जैसे नार्वे, जो अभी ब्लू बॉक्स समर्थन का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जैसे–जैसे वे अधिक विरूपण करने वाले एम्बर बॉक्स से दूर होते हुए अपने समर्थन का सुधार कर रहे हैं उन्हें और अधिक छूट की अनुमति है।

वर्तमान कृषि समझौता केवल एक प्रकार के ब्लू बॉक्स को समर्थन देता है और वो है किसानों को सीधा भुगतान जो उनके कुल पशुओं की संख्या या कुल रोपित क्षेत्र पर आधारित है। परन्तु इसके लिए उत्पादन सीमा के भीतर रहना है ताकि अति उत्पादन को रोका जा सके। कृषि समझौते में नये प्रकार का ब्लू बॉक्स जोड़ने के लिए संशोधन किया जायेगा जो भुगतान उत्पादन की आवश्यकता पर नहीं परन्तु पूर्व में एक निर्धारित उत्पादन मात्रा पर आधारित होंगे। देश को तय करना होगा कि किस प्रकार के ब्लू बाक्स का प्रयोग करना है। सामान्यतः वह सभी उत्पादों के लिए एक ही प्रकार का बाक्स इस्तेमाल करेंगे।

विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए अनेक प्रावधान हैं जिसमें प्रति उत्पाद ब्लू बाक्स सीमा से उपर जाने की संभावना शामिल है अगर उस उत्पाद की एंबर बाक्स सीमा पर बराबर कमी की जाए। साथ ही उन उत्पादों पर ब्लू बाक्स भुगतान सक्रिय करने का प्रावधान है जिन पर भुगतान पहले नहीं मिलता था।

प्र.32: घरेलू समर्थन घटाने वाली मसौदा रूपरेखा में अमरीका के लिए प्रस्तावित विशेष छूट पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है?

उ.32: भारत ने कुछ अन्य जी–20 देश सदस्यों के साथ अमरीका के लिए प्रस्तावित विशेष छूट का लगातार विरोध किया है।

प्र.33: गैर व्यापार विरूपण करने वाले विषयों या ग्रीन बॉक्स समर्थन उपायों का क्या हुआ?

उ.33: दोहा जनादेश में समर्थन को ग्रीन बाक्स समर्थन के तौर पर परिभाषित करने वाले मानदंडों की समीक्षा, और विकासशील देशों के न्यूनतम व्यापार विरूपण करने वाले कार्यक्रमों के प्रभावी प्रसार की अनुमति देने की परिकल्पना की है। रीति प्रारूप में विकसित देशों के लिए मानदंडों को मजबूत करने का प्रस्ताव शामिल है। विकासशील देशों के बाजार से ऊँची कीमतों पर कम आय वाले या कम संसाधन किसानों से माल अधिसंचयन संबंधी खरीद की शर्तों में संभावित संशोधन का भी प्रस्ताव है।

प्र.34: क्या दोहा दौर अमरीका द्वारा अपने कपास किसानों को प्रदान की गई भारी सहायिकी में कटौती में फलित होगा?

उ.34: अफ्रीका के कॉटन–4 के देश (बेने, बुरकीना फासो, चाड और माली) कपास पर क्षेत्रीय पहल के मुख्य प्रस्ताव करने वाले हैं। मौजूदा रीति प्रारूप के अनुसार कपास पर व्यापार विरूपण करने वाले घरेलू समर्थन में अन्य क्षेत्रों से अधिक कटौती की जायेगी।

मसौदे में इसको दर्शाते हुए कॉटन–4 द्वारा 2006 में प्रस्तावित सूत्र पर आधारित एक सूत्र शामिल है। इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि अमरीका कपास पर औसत सहायता माप समर्थन पर 82.2% कटौती करेगा – सकल सहायता माप श्रेणीबद्ध कटौती सूत्र के अनुसार 60% सकल सहायता माप कटौती।

बहुपक्षीय बातचीत में इस पर बहुत कम प्रगति हुई है। ऐसा समझा जाता है कि अमरीका और कॉटन–4 देशों के बीच द्विपक्षीय विचार–विमर्श चल रहा है जो बाकी सदस्य देशों से छुपा नहीं है।

प्र.35: निर्यात सहायिकी पर दोहा दौर में क्या प्रस्ताव है?

उ.35: दोहा जनादेश के अनुसार एक सहमत अंतिम तिथि तक सभी निर्यात सहायिकियों को समाप्त करना था। तय की गई तिथि तक सभी निर्यात सहायिकियों का, सभी निर्यात ऋणों का, निर्यात ऋण गारंटियों का या 180 दिन से अधिक के चुकौती अवधि के बीमा कार्यक्रमों का समापन होना था और साथ ही कम पुनः भुगतान अवधि वाले विषयों के अनुरूप न होने वाले कार्यक्रमों पर बातचीत होनी थी।

इसके साथ ही राज्य व्यापारिक उद्यमों की व्यापार विरूपण करने वाली पद्धतियों को भी समाप्त करना है, जिन्हें समझा जाता है कि सहायिकी प्राप्त है। खाद्य सहायता जो अन्य विषयों के अनुरूप नहीं है, उस पर भी बातचीत होनी है।

कृषि पर समझौते में वो सूचीबद्ध सब्सिडी सहायिकी भारत में प्रसारित नहीं है जो प्रतिबद्धताओं में कमी को आकर्षित करती है। साथ ही विकासशील देशों को कुछ सहायिकी प्रदान करने की छूट है जैसे निर्यात विपणन को कम करना, आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन और माल ढुलाई शुल्क, आदि।

मौजूदा प्रस्तावों के अनुसार इस प्रावधान की उपलब्धता को 2021 तक बढ़ाना है जो कि 2016 से पांच वर्ष आगे हैं जब विकासशील देशों को सभी प्रकार की निर्यात छूट को समाप्त करना होगा।

संबंधित वेबसाईट

- www.commerce.nic.in
- www.wto.org
- www.unctad.org
- www.worldbank.org
- www.wipo.int
- www.fao.org
- www.unescap.org
- www.artnetontrade.org

डब्लूटीओ केंद्र के बारे में

डब्लूटीओ अध्ययन केंद्र संस्थान में नवम्बर 2002 से कार्य कर रहा है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य डब्लूटीओ से संबंधित चिन्हित मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय को अनुसंधानात्मक व विश्लेष्णात्मक सहायता प्रदान करता है।

केंद्र हाल में बहुत मजबूत हुआ है। इसे अब अधिक मान्यता मिली है और यह केंद्र अनुसंधान गतिविधियां चलाता है, डब्लूटीओ से संबंधित मुद्दों पर मुखपत्र प्रकाशित करता है। सेमिनार, कार्यशाला विषय आधारित बैठकों आदि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा व्यापार स्त्रोत् केंद्र में महत्वपूर्ण डब्लूटीओ दस्तावेज एकत्रित करता है। केंद्र के कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए परिचालन समिति गठित की गई है। केंद्र इस समय निम्न डब्लूटीओ संबंधित विषयों पर अनुसंधान गतिविधियों लगा हुआ है।

- **कृषि**
- **बौद्धिक संपदा अधिकार**
- **स्वछता एवं स्वास्थ उपायों पर समझौता**
- **व्यापार में तकनीकी अवरोध पर समझौता**
- **व्यापार सुविधा**
- **तकनालॅाजी अंतरण**
- **पर्यावरण एवं व्यापार से संबंधित मुद्दे**
- **श्रम संबंधी मुद्दे**

डब्लूटीओ केंद्र और इसकी गतिविधियों पर और अधिक जानकारी इसकी वेबसाईट http://wtocentre.iift.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

Centre for WTO Studies
विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केन्द्र

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएफटी भवन, बी–21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26564409
E-mail: editor_wtocentre@iift.ac.in